राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा विभाग

मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने जनता कॉलोनी, जयपुर

क्रमांकः प.9(12)/डीएमई/ऑडिट कमेटी/2022/2637 दिनांकः–17/06/2022

बैठक नोटिस

महालेखाकार राजस्थान/निरीक्षण विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित आक्षेपों की अनुपालना की संवीक्षा हेतु राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 29.06.2022 (बुधवार) को अपरांह 12:30 बजे प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर के मीटिंग हॉल में विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है। जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण कृपया उपस्थित होने का श्रम करावें:–

1. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर (द्वारा नामित प्रतिनिधि)
2. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयुपर।
3. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर।
7. डीन, मेडिकल कॉलेज, झालावाड़।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, आरयूएचएस एवं झालावाड़।

बैठक का एजेंडा व वांछित सूचनाओं हेतु प्रपत्र संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वह महालेखाकार/निरीक्षण विभाग के बकाया प्रतिवेदनों/आक्षेपों के संबंध में महालेखाकार/निरीक्षण विभाग से मिलान करवाकर समेकित सूचनाऐं, दिनांक 29.06.2022 को आयोजित ऑडिट कमेटी की बैठक के क्रम में जारी किये गये कार्यवाही विवरण के क्रम में आपके द्वारा आदिनांक तक की गई कार्यवाही एवं विशेषकर **चोरी, हानि गबन प्रकरणों की विस्तृत सूचनाऐं प्रकरण वाईज** अलग–अलग तैयार कर अपडेटेड सूचना दिनांक 22.06.2022 तक आवश्यक रूप से वित्तीय सलाहकार की ई–मेल आई डी famedicaleducation01@gmail.com पर भिजवाये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें, जिससे सूचना को समय पर समेकित किया जाना संभव हो सके।

(गौरव चतुर्वेदी)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः प.9(12)/डीएमई/ऑडिट कमेटी/2022 दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर।
4. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, जयपुर।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, डीन मेडिकल कॉलेज, झालावाड़, रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबद्ध चिकित्सालयों की समस्त सूचनाऐं निदेशालय में दिनांक 22.06.2022 तक आवश्यक रूप से सॉफ्ट कॉपी में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, एंव वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी के साथ बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे बकाया प्रतिवेदनों/आक्षेपों पर चर्चा भी की जा सके।
8. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा राजस्थान जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, डीन मेडिकल कॉलेज, झालावाड़, रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. एसीपी/नोडल अधिकारी, आई टी अनुभाग कार्यालय हाजा, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था के संबंध में।
11. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

Dr. Saini Sir

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव